



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-15052025-263106
CG-TL-E-15052025-263106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2083]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2025/वैशाख 23, 1947

No. 2083]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2025/VAISAKHA 23, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 2 मई 2025

का.आ. 2130(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा "गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) के अंतर्गत मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रस्तावित साइडिंग कनेक्टिविटी, जो काजीपेट-विजयवाड़ा सेक्शन पर रेलवे स्टेशन के रूप में चेरुवुमाधवरम (सीवीवी) स्टेशन से आईओसीएल टर्मिनल तक जाएगी" को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एनटीआर जिले में आंध्र प्रदेश राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.

[फा. सं. CW.277.DB.Land/South/IOCL-CVV/SRP/37A]

एम. गोपाल, अमरेप्र/इन्फ्रा/सिकं.

MINISTRY OF RAILWAYS

(SOUTH CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 2nd May, 2025

S.O. 2130(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Proposed siding connectivity of M/s Indian Oil Corporation Limited under Gati Shakti Cargo Terminal (GCT) taking off from Cheruvumadhavaram (CVV) Station as serving Railway station on Kazipet-Vijayawada section to IOCL Terminal" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of N.T.R with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CW.277.DB.Land/South/IOCL-CVV/SRP/37A]

M. GOPAL, ADRM/Infra/SC